राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर

बच्चों की सुरक्षा के लिए "बाल सुरक्षा कानुनों पर पुलिस अधिकारियों, सीडब्लयूसी, जेजेबी के सदस्यों एवं स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों का जिला स्तरीय प्रशिक्षण" कार्यक्रम जिला बीकानेर

30-31 अक्टूबर 2018

राजस्थान पुलिस अकादमी में **"बाल सुरक्षा कानुन"** विषय पर यूनिसेफ के सहयोग से जिला स्तरीय प्रशिक्षण 30-31 अक्टूबर 2018 को आयोजित किया गया। जिसमें बीकानेर जिले के बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों, किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों एवं विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

प्रशिक्षण के उद्घाटन सत्र को सम्बोधित करते हुए श्री सवाई सिंह, गोदारा, पुलिस अधीक्षक बीकानेर ने राजस्थान ने कहा कि समाज में बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण निर्माण के लिए जरूरी है कि सब मिलकर बालकों के संरक्षण के लिए बाल अधिकार कानूनों का सख्ती से लागू करें। जितना जल्दी हो सके न्यायालय में चार्जशीट पेश करे साथ ही पीडित एवं गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। उन्होने बच्चों के लिए कार्यरत सभी गैर सरकारी संस्थाओं से मिलकर काम करने की जरूरत पर बल दिया। इस अवसर पर श्री पवन कुमार मीणा अति. पुलिस, बीकानेर ने बच्चों को देश भविष्य बताते हुए उनकी सुरक्षा का मुख्य दायित्व पुलिस का बताया। उन्होने पुलिस सहित सभी विभागों को बच्चों के प्रकरणों में संवेदनशील होकर मामलों का निस्तारण एवं पुनर्वास सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

प्रशिक्षण के प्रथम सत्र में श्री धीरज वर्मा, पुलिस निरीक्षक, आर.पी.ए., जयपुर द्वारा कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य पुलिस अधिकारियों को बच्चों के साथ व्यवहारों के लिए दक्षता देना तथा उन पर लागू कानूनों एवं अंतर्राष्ट्रीय संधियों की जानकारी दी जिससे कि समस्त हित धारक बाल अधिकारों एवं पुलिस प्रक्रियाओं में व्याप्त अन्तर को ठीक कर बच्चों के सर्वोतम हित में कार्य कर सके। श्री यदुराज शर्मा, सलाहाकार ने बाल अधिकारों पर व्याख्यान दिया जिसमें बच्चों को यह अधिकार जाति, धर्म, भाषा, लिंग एवं नस्ल के भेदभाव के बिना प्राप्त होने की बात कही। उन्होने बच्चों को अच्छा जीवन स्तर प्रदान करने एवं उनके उपयुक्त शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास के विभिन्न पहलूओं पर बात कही।

श्री धीरज वर्मा, पुलिस निरीक्षक आर.पी.ए. ने मानव तस्करी के विभिन्न मुद्दों पर अपना व्याख्यान दिया। उन्होने बच्चों की सामाजिक, आर्थिक स्थितियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मानव तस्करी, यौन शोषण, बंधुआ मजदूर, घरेलू नौकर, दत्तक ग्रहण, विवाह-मनोरंजन एवं स्पोर्टस गैर-कानूनी गतिविधियों के रूप में की जाती है। इस दौरान ये पीडित विभिन्न तरहों शारीरिक, यौन व भावनात्मक शोषण और हिंसा के शिकार होते है। उन्होने बाल तस्करी से बच्चों की सुरक्षा के लिए विधिक प्रावधानों एवं रोकथाम की कार्यवाहियों के बारे में बताया।

डॉ. प्रभा भार्गव, सामाजिक कार्यकर्ता ने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 पर सम्बोधित करते हुए पुलिस अधिकारियों की भूमिकाओं पर विस्तृत चर्चा की। साथ ही पीडितों की सामाजिक एवं मनस्थितियों के बारे में बताया। उन्होने इसका उद्देश्य बच्चों को यौन उत्पीडन और शोषण से बचाने तथा कानूनी प्रावधानों को मजबूती प्रदान करना बताया। उन्होने मानव तस्करी के प्रकरणों में इस अधिनियम की धाराओं को शामिल करने पर जोर दिया ताकि अपराधियों को सख्त सजा दिलायी जा सके।

श्री निशान्त ओझा, समन्वयक उरमूल संस्था बीकानेर ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों एवं पुलिस अधिकारियों की भूमिकाओं पर चर्चा करते हुए इसे बच्चों के विकास में बाधक बताया इन्होने कहा कि इससे एक ओर तो उनकी शिक्षा बाधित होती है वहीं दूसरी ओर बाल विवाह शिशु मृत्यू बढाता है।

प्रशिक्षण के दूसरे दिन 31 अक्टूबर के प्रथम सत्र को श्री चैन राम, समन्वयक चाइल्ड लाईन, बीकानेर ने बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी विभिन्न दिशा निर्देश के बारे में बताया। उन्होने बाल श्रम पर चर्चा करते हुए उसके सामाजिक, आर्थिक एवं बालकों पर पडने वाले शारीरिक एवं मानसिक प्रभावों पर प्रकाश डाला। उन्होने जिले के सन्दर्भ में कहा कि यहां पर बच्चों की तस्करी सीधे तौर पर बालश्रम के साथ जुडी हुई है। बच्चे खनन एवं देह व्यापार के कार्यो में लगे हुए है। इन बच्चों की शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य चिन्ता का विषय है।

श्री विश्वास शर्मा ने बाल विवाह एवं बाल श्रम के विभिन्न संदर्भो में कहा कि बाल श्रम से निबटने के लिए सरकार द्वारा कई प्रकार के कानून भी बनाए गए है एवं साथ ही बाल श्रम एवं बाल विवाह पर विराम लगाने के लिए केन्द्र सरकार की ओर से सभी राज्यों के लिए समेकित बाल सुरक्षा योजना को लागू किया गया है एवं बाल श्रम में नए प्रावधानों के बारे में विस्तार से बताया।

श्री वाई.के. शर्मा, अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति, बीकानेर ने कहा कि साझी रणनीति एवं संवदेनशीलता से ही बच्चों की बेहतरी सुनिश्चित की जा सकेगी। उन्होने किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 पर चर्चा करते बाल कल्याण समिति के कार्यो एवं पुलिस की भूमिकाओं पर प्रकाश डाला।

समापन सत्र को श्री सौरभ श्रीवास्तव, अति. महानिदेशक पुलिस एवं निदेशक, आर.पी.ए., जयपुर ने सम्बोधित करते हुए पुलिस अधिकारियों एवं अनुसंधान अधिकारीगण जो पीडित बालकों, बालिकाओं और उनके परिवारजनों से सम्पर्क में आ रहे है, एवं जो इन प्रकरणों को देख रहे है या अनुसंधान कर रहे है- उन्हें अधिक संवेदनशीलता, अधिक मानवीयता एवं अधिक सहानुभूति के साथ कार्य करने की आवश्यकता है- इस बल दिया।

श्री एम.एन. दिनेश, महानिरीक्षक पुलिस, बीकानेर रेन्ज ने पीडित बच्चों के लिए न्यायिक प्रक्रियाओं के निरन्तर संवेदनशील रहने की जरूरत बतायी। उन्होनें बच्चों की तस्करी को अत्यन्त चिन्ता का विषय बताते हुए पुलिस अधिकारियों से गहन रूप से कार्य करने की जरूरत बतायी। बाल तस्करी अत्यन्त अमानवीय है इससे बच्चों को मुक्त किया जाना ही चाहिए।

सवाई सिंह गोदारा, पुलिस अधीक्षक, बीकानेर ने प्रशिक्षण को एक निरन्तर आवश्यकता बतायी। यह प्रशिक्षण बच्चों एवं महिलाओं के प्रति ओर अधिक संवेदनशील बनाते हुए इनके लिए त्वरित कार्यवाहियों के लिए प्रोत्साहित करेगा। अन्त में श्री राजेन्द्र सिंह, अति. पुलिस अधीक्षक ने आगन्तुक अतिथियों का आभार व्यक्त किया।

प्रशिक्षण का आयोजन राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर एवं यूनिसेफ के सहयोग से जिला पुलिस के साथ मिलकर किया गया। प्रशिक्षण श्री राजेन्द्र सिंह, अति. पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में आयोजित किया गया जिसके स्थानीय नोडल अधिकारी पवन कुमार मीणा, अति. पुलिस अधीक्षक थे। प्रशिक्षण में बीकानेर जिले के पुलिस अधिकारियों सहित किशोर न्याय बोर्ड सदस्यों, अध्यक्ष बाल कल्याण समिति एवं विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के 55 सदस्यों ने भाग लिया।